

प्ररूप सं. 16ख

[नियम 31(3क) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं.	तारीख को अंतिम बार अद्यतन किया गया	
कटौतीकर्ता का नाम और पता (अंतरिती/संदायकर्ता/क्रेता)	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता (अंतरिती/पाने वाला/विक्रेता)	
कटौतीकर्ता का ¹ [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का ¹ [स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]	कटौती का वित्तीय वर्ष

संव्यवहार (रों) का सार

क्रम सं.	विशिष्ट अभिस्वीकृति संख्या	संदत्त/जमा की गई रकम	संदाय/जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	कटौती किए गए कर की रकम और कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया

कटौती किए गए और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्योरा, जिसके लिए कटौती किए गए व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाना है

क्रम सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किये गए कर की रकम (रु.)	चालान पहचान संख्यांक (सीआइएन)		
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)	चालान क्रम संख्यांक
1.				
2.				
कुल (रु.)				

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि रु. [.....रु. (शब्दों में)] की राशि कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा की गई है। मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, कर की कटौती का चालान-सह-कथन, जमा किए गए टीडीएस और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सत्य, पूर्ण और सही है।

स्थान :

.....
(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

तारीख :

पूरा नाम